मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 2216/आर–959/2018/2/34 भोपाल, दिनांक 18 MAY 2018

:: आदेश ::

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के अधोसंरचना विकास कार्यो में प्रदेश के युवा अभियंता को आकर्षिक करने, स्वउद्यम की ओर प्रेरित करने तथा सक्षम ठेकेदारों की संख्या में वृद्धि करने हेतु लागू की गई मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर, कान्ट्रेक्टर योजना के अन्तर्गत ठेकेदारों को प्रदाय की गई विभिन्न सुविधाओं के संबंध में मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक एफ–12–04/2013/सामा/19 दिनांक 17.10.2014 के बिन्दु कमांक 04 में उल्लेखित प्रावधान को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

विभाग द्वारा दिनांक 17.10.2014 से इस आदेश के जारी होने की दिनांक के बीच आमंत्रित की गई निविदाओं के प्रकरण में प्रतिभागी, युवा इंजीनियर कान्ट्रेक्टर योजना में पंजीकृत निविदाकारों द्वारा पृथक से संबंधित निविदा आमंत्रणकर्ता अधिकारी के समक्ष आवेदन करने पर ही विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में अमानत राशि/धरोहर राशि में छूट प्रदाय की जायेगी एवं यह आदेश उपरोक्तानुसार इस विभाग में प्रभावशील किया जाता है।

18/05/2018
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. कमांक 2217/आर–959/2018/2/34 भोपाल, दिनांक 18 MAY 2018
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, भोपाल ।
6. विशेष सहायक मा. मंत्रीजी, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
7. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश शासन।
11. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश ।

18/05/2018
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

PA-2017/615

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल–462004
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 17/10/2014

क्रमांक–एफ–12–04/2013/सामा./19:– राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के अद्योसंरचना विकास कार्यों के ठेकेदारी क्षेत्र में प्रदेश के युवा अभियंताओं को आकर्षित करने, स्वउद्यम की ओर प्रेरित करने, तकनीकी रूप से सक्षम ठेकेदारों की संख्या में वृद्धि करने एवं ठेकेदारों की कार्य संपादन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.08.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना में निम्नानुसार निर्देश जारी करता है:–

1. इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवा इंजीनियर कांट्रेक्टरों को पंजीयन में विशिष्ट पहचान दी जावे, जिससे भविष्य में इन्हें चिन्हित करने में सुविधा रहे।
2. इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण अवधि 6 माह के स्थान पर 3 माह रखी जावे, जिसमें 2 माह की फील्ड ट्रेनिंग तथा 1 माह की कार्यालयीन प्रक्रिया का ज्ञान एवं एकेडमिक ट्रेनिंग (क्लास रूम) रखी जावे।
3. इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित इंजीनियर को "सी" श्रेणी में सीधे पंजीयन का प्रावधान किया जावे।
4. "सी" श्रेणी हेतु पंजीयन शुल्क ₹ 10,000/– के स्थान पर ₹ 2,000/– एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹ 2.00 लाख के स्थान पर ₹ 25,000/– किये जाने का प्रावधान किया जावे।
5. इस योजना में प्रशिक्षित पंजीकृत ठेकेदार को प्रथम 03 वर्ष के लिये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट/बिड सिक्यूरिटी में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावे, परन्तु उपरोक्त छूट ठेकेदार को उस स्थिति में देय नहीं होगी, यदि उसके द्वारा किन्हीं 2 कार्यादेशों को अधूरा छोड़ दिया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजीव शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग

I.T. Cell
upload immediately

मुख्य अभियंता
मुख्यमंत्री युवा इन्जीनियर कान्ट्रेक्टर प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, भोपाल

पृ.क्रमांक–एफ–12–04/2013/सामा./19 भोपाल,दिनांक 17/10/2014

प्रतिलिपिः–

1. महानिदेशक, आर.सी.पी.व्ही.नरोन्हा प्रशासन अकादमी एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, मान0मुख्यमंत्री, कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय।
5. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0शासन,मंत्रालय।
7. विशेष सहायक मान0मंत्री, म0प्र0शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय।
8. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
9. महालेखाकार म0प्र0, भोपाल/ग्वालियर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, ... मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागायुक्त .... मध्यप्रदेश।
12. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल।
13. परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) निर्माण भवन, भोपाल।
14. समस्त जिला कलेक्टर .... म0प्र0।
15. समस्त मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. .... म0प्र0।
16. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
17. आदेश पुस्तिका।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग